अप्रार्थी 02 के भी
की ओर से उपस्थिति दी जा
अप्रार्थी 01 की ओर अधिवक्ता द्वारा वादी के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी 01
कुल की अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्थान पर अप्रार्थी 02
के लिखित जवाब के स्थान पर ही दोनों पक्षों
के जवाब के आधार पर
ओर से बहस नहीं गई।
अधिवक्ता उभय पक्ष के निवेदन पर बहस
सुनाई की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय RJA
212 आदेश दिनांक 07/05/26 को पेश हो।

उपस्थित पत्रावली का
पत्रावली पेश हुई। वकुलाचन फरीकैन उपस्थित। पत्रावली का

07/05/26 अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।
प्रार्थना पत्र 212 आदेश स्वीकार किया जाकर
पूर्व प्रसारित T.I. मूल वाद के निस्तारण तक यथावत
कायम रखी जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न
नत्थी की गई। प्रकरण नंबर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 07/05/26 को खुले इजलास
सुनाया गया।